स्थापना वर्ष 1957

GOVT. DIGVIJAY AUTONOMOUS P.G. COLLEGE

RAJNANDGAON (C.G.)

SESSION : 2016-17

PROSPECTUS

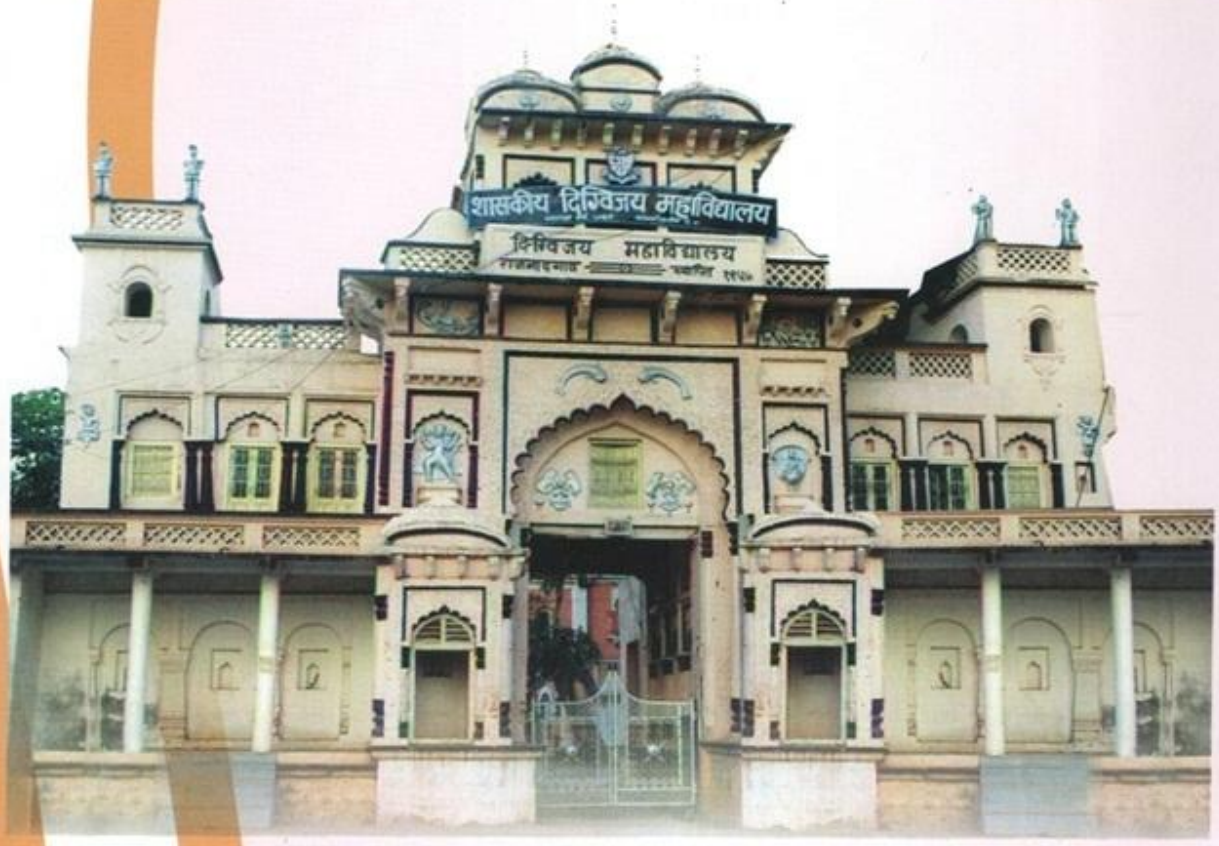

डॉ. आर.एन.सिंह
(रक्षा सचिव पदक)
प्राचार्य

वनस्पति शास्त्र विभाग की प्रयोगशाला में
प्रायोगिक कार्य करते हुए विद्यार्थी

मुख्य ग्रंथालय के 'रिडिंग रूम' में
अध्ययनरत् विद्यार्थी

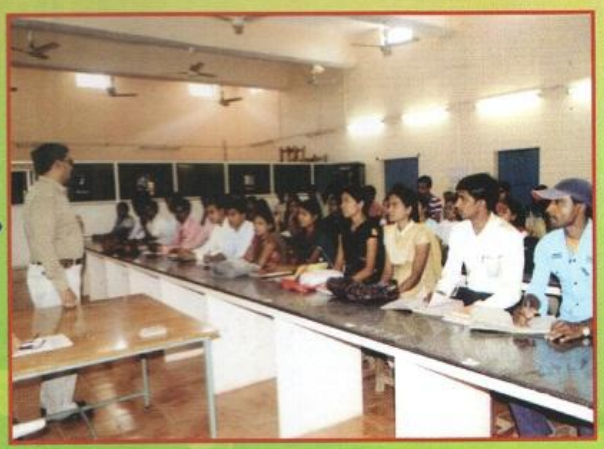

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी
परीक्षायें हेतु अभिप्रेरित करते हुए
प्राचार्य डॉ. आर.एन. सिंह

मुख्य अतिथि माननीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री एवं सांसद
श्री अभिषेक सिंह जी तथा महापौर माननीय
श्री मधुसूदन यादव जी द्वारा
वाई-फाई का उद्घाटन

विवरण पत्रिका

सत्र 2016 - 17

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) से सम्बद्ध
एवं
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से
कॉलेज विद् पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस (CPE) का दर्जा प्राप्त
एवं
नैक द्वारा मूल्यांकित

शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राजनांदगाँव (छ.ग.) 491 441

फोन नं. (07744) 225036, 229723
फैक्स - (07744) 225036
वेब साईट - www.digvijaycollegerjn.com
ई मेल - principal@digvijaycollege.com

मूल्य : 50/-

महाविद्यालय के संस्थापक

दानवीर एवं उच्च शिक्षा के स्वप्न द्रष्टा

महंत राजा दिग्विजय दास

हमारा महाविद्यालय जिनका अक्षय स्मारक है।

अपनी बात ....

प्रिय विद्यार्थियों ,

हमें प्रसन्नता है कि नए शिक्षा सत्र में आप एक ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने जा रहे है, जिसका इतिहास प्रारम्भ से ही गौरवशाली रहा है। दानवीर महंत राजा दिग्विजय दास एवं नगर के जागरूक नागरिकों, जनप्रतिनिधियों तथा राजनांदगांव शिक्षा समिति के प्रयासों से 1957 में स्थापित राजनांदगांव का यह प्रतिष्ठित महाविद्यालय विकास की ऊंचाईयों तक पहुंचने हेतु निरंतर प्रयास करता हुआ अपनी स्थापना का 59 वाँ वर्ष पूर्ण करने जा रहा है।

महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा के अनुरूप शिक्षा के साथ – साथ साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा क्रीडा के क्षेत्र में प्राप्त विशिष्ट उपलब्धियों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्र 2011–12 में 'संस्था को उत्कृष्ट' संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है। महाविद्यालय के लिये यह एक महान उपलब्धि है। इससे, संस्था के विकास में एक नए युग की शुरूआत हुई है।

इस शैक्षणिक सत्र से 8 नए व्यावसायिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं, जिनमें विद्यार्थियों को न्यूनतम शुल्क एवं बदलते माँग के अनुरूप स्थानीय स्तर पर ही बेहतर पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सकेंगे। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

इस संस्था में अकादमिक कार्यक्रमों के साथ ही व्यक्तित्व विकास से जुडे कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाती है। छात्रों को उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों की सारगर्भित जानकारी प्रदान करने के लिए रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यहीं कैम्पस इंटरव्यू के जरिये रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के इस प्राचीनतम् गौरवशाली महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र – छात्राओं से यह अपेक्षा है कि इस महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा को न केवल अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, वरन् अपनी प्रतिभा और विवेक से महाविद्यालय का नाम रौशन करेंगे। हमारे महाविद्यालय के उत्साही एवं विद्वान प्राध्यापक आपकी शैक्षणिक, अकादमिक प्रगति के लिए पूर्ण सहयोग देने हेतु सदैव तत्पर है। भविष्य में संस्था की गरिमा में वृद्धि हेतु महाविद्यालय परिवार कृत संकल्प एवं पूर्णतः आश्वस्त है।   साहित्य, संस्कृति तथा क्रीड़ा के क्षेत्र में महाविद्यालय की अन्तर्राष्ट्रीय छवि बनी हुई है। ऐसी संस्था में प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर किसी भी विद्यार्थी के लिए गौरव का विषय हो सकता है।

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त नवांगतुक विद्यार्थियों से आशा है कि वे अध्ययन के प्रति एकाग्र निष्ठा के साथ अनुशासन का पालन करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप नियमित उपस्थिति, अनुशासन, मेहनत से पूरे सत्र अध्ययन करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।

प्रसन्नता की बात है कि महाविद्यालय ने अपनी स्थापना के 58 वर्ष पूर्ण कर उत्तरोत्तर विकास के अनेक आयाम गढ़े हैं। महाविद्यालय की उपलब्धियाँ इनका प्रमाण है।

हम महाविद्यालय के समस्त छात्र – छात्राओं के मंगलमय एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

डॉ. आर. एन. सिंह
(रक्षा सचिव पदक)
प्राचार्य

महाविद्यालय के संस्थापक एवं अवैतनिक प्राचार्य

पं. किशोरी लाल शुक्ल

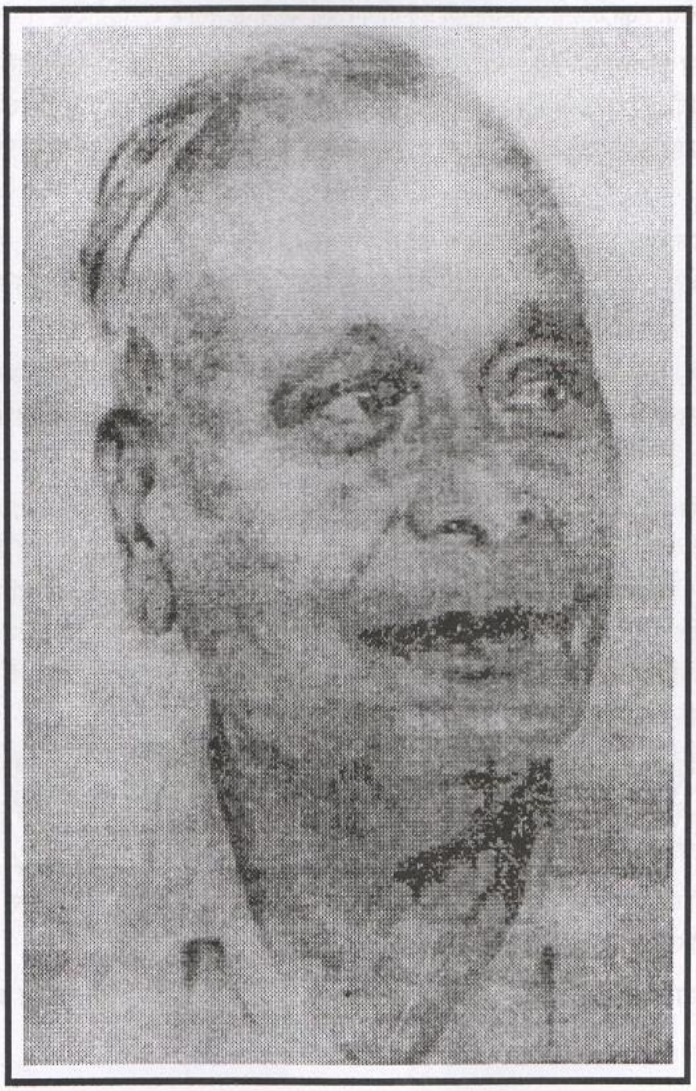

दिनांक 01.07.1957 से 31.12.1966

महाविद्यालय की विकास यात्रा ...

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की स्थापना महंत राजा दिग्विजय दास द्वारा प्रदत्त भवन में सन् 1957 में की गई थी। इस महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य (अवैतनिक) श्री किशोरीलाल शुक्ल थे। महाविद्यालय के प्रारंभ में कला एवं वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरु हुईं तथा एक वर्ष बाद विज्ञान संकाय प्रारंभ हुआ।

अपनी स्थापना काल से ही निरंतर प्रगति करते हुए इस महाविद्यालय में तीनों संकायों में स्नाकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हो गईं और इसी क्रम में 27 अगस्त 1973 को यह महाविद्यालय शासनाधीन हो गया। तदपश्चात 1992–1993 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस महाविद्यालय को स्वशासी का दर्जा प्रदान किया गया। प्रारंभ में यह योजना स्नातकोत्तर स्तर पर लागू हुई तथा 1997–98 में स्नातक स्तर पर भी स्वशासी योजना लागू कर दी गयी।

महाविद्यालय के संपूर्ण विकास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा 1997–98 से महाविद्यालय जनभागीदारी समिति (स्थानीय प्रबंधन समिति) का गठन किया गया। स्थापना से ही समिति द्वारा विकास की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन की पहल की गयी।

क्षेत्र का सबसे पुराना महाविद्यालय होने का गौरवमय इतिहास अपने में समेटे हुए यह महाविद्यालय डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी एवं श्री गजानन माधव मुक्तिबोध की कर्मस्थली भी रहा है। इस महाविद्यालय में अध्ययन पश्चात् अनेक छात्र / छात्राएं प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने तथा अकादमिक मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। हमारे महाविद्यालय का भी NAAC ने मूल्यांकन किया था और 70.22 % (प्रतिशत) अंक के साथ बी ग्रेड (B Grade) प्रदान किया गया था। नैक द्वारा महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं पाठयेत्तर गतिविधियों की सराहना की गई थी। शैक्षणिक सत्र 2013–14 में पुन: महाविद्यालय का मूल्यांकन नैक बैंगलूरू द्वारा साइकल II के तहत पुन: प्रत्यापन पीयर टीम द्वारा कराया गया, परिणाम 2.61 C.G.P.A के साथ "B" ग्रेड पाने में सफल रहा। हम निरंतर प्रयासरत है कि हम "A" ग्रेड प्राप्त कर सकें, जो हम सबके लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्ष 2010–11 मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा महाविद्यालय के शैक्षणिक, शोध, साहित्यिक क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवंअन्य गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर महाविद्यालय को (CPE) 'कॉलेज विद् पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस' का दर्जा प्रदान किया गया है। महाविद्यालय में 'ई–क्लास' की सुविधा भी उपलब्ध है। विज्ञान के विद्यार्थी आई. आई. टी., कानपुर से सीधे संवाद स्थापित कर रहें हैं। वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा एक आकर्षक वनस्पति उद्यान महाविद्यालय परिसर में विकसित किया गया है। इसका लाभ विद्यार्थियों को मिलता है। उन्नत कम्प्यूटर लैब, इंटरनेट सुविधा, एन. आर. सी., उन्नत प्रायोगिक लैब, स्मार्ट क्लास, कान्फ्रेंस हॉल की सुविधाएं भी महाविद्यालय में उपलब्ध हैं।

शैक्षणिक सत्र 2013–14 से 8 नए व्यावसायिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम यथा स्पोकन इंग्लिश एवं क्रिएटिव राइटिंग में डिप्लोमा, मनोविज्ञान, बी. सी. ए. , एम. एस. डब्ल्यू, स्नोतकोत्तर रुरल डेव्हलपमेंट, एस. एससी. माइक्रो बायोलॉजी, एम. एमसी. बायोटेक्नालॉजी तथा एम. एससी. कम्प्यूटर भी प्रारंभ हो चुका है, इस वर्ष स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता एवं छत्तीसगढ़ी भाषा भी प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

आधुनिक विश्व के बदलते परिद्दश्य में नए विषयों को महाविद्यालय के पाठयक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास निरंतर जारी है। व्यवसायिक पाठयक्रमों का आरंभ होना महाविद्यालय के विकास में एक नई कड़ी है। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक मत्स्य एवं मत्सिकी, बायोटेक्नालॉजी , कम्प्यूटर एप्लीकेशन, पी. जी.डी.सी.ए. के नये पाठयक्रम आरंभ किये गये हैं। नए पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। शासन ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालय के 'वाणिज्य संकाय' को उत्कृष्ट संस्थान के रुप में मान्यता दी है। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अर्थशास्त्र विभाग को स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु उत्कृष्ट विभाग मानते हुए विशेष सुविधा मुहैया करायी हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा महाविद्यालय मे तीन नये पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं।

(1) इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (2) फूड सांइस (3) इन्स्ट्रूमेंट मेंटेनेंस

(4) स्पोकन इंग्लिस एवं क्रियेटिव राईटिंग

ये पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा तथा तृतीय वर्ष में एडवांस डिप्लोमा के रुप में हैं। इस प्रकार बी. एससी. उपाधि के साथ, विद्यार्थी अतिरिक्त योग्यता हासिल कर सकते हैं। श्री कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित बी.जे.एम.सी.पाठ्यक्रम भी इस महाविद्यालय में संचालित है। कैम्पस इंटरव्यू के जरिए टी.सी.एस., बाल्को, लैंको पावर प्रोजेक्ट, विप्रो, ए. सी.सी., TCS, ICICI बैंक जैसी संस्थाओं में विज्ञान के विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। विभिन्न संकायों, रोजगारपरक पाठयक्रमों के विद्यार्थी विगत वर्षो में विभिन्न वर्दीधारी सुरक्षा सेवाओं में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र निरंतर जहाँ विद्यार्थियों को देश की चुनिंदा कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कैम्पस करा रहा है, वहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है। महाविद्यालय का सतत् विकास तभी संभव है जब विद्यार्थी अध्ययन के प्रति एकाग्र निष्ठा के साथ अनुशासन का पालन करेंगे।

महाविद्यालय खेल जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है , छात्र श्री मृणाल चौबे जुनियर हॉकी इण्डिया टीम के सदस्य के रुप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकें हैं तथा गुण्डाधर सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। श्री अम्बर सिंह भारद्वाज कराते खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्णपदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रौशन कर चुकें है। एन. सी. सी. की छात्रा रेणु गढ़पाण्डे का चयन डी. जी., एन. सी. सी. सी. मेडल एवं पुरस्कार के लिए किया जा चुका है। इसी महाविद्यालय के एन.एस.एस. के छात्र श्री कांतिलाल यादव का चयन युथ एक्सचेंज कार्यक्रम हेतु चीन के लिए किया गया तथा श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए इंदिरा गाँधी एन.एस.एस. पुरस्कार राष्ट्रपति जी के कर कमलों से सत्र 2013–14 में प्राप्त कर चुका है, एन.सी.सी. का छात्र श्री प्रशांत तिवारी का चयन सिंगापुर युथ एक्सचेंज कार्यक्रम हेतु इस वर्ष के लिए किया गया है। सैकड़ों विद्यार्थी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में राष्ट्रीय एवं महाविद्यालय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं।

महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि शैक्षणिक , सांस्कृतिक , खेलकूद तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी सक्रियता का परिचय देकर महाविद्यालय की गरिमा की अभिवृद्धि करेंगे, ऐसी आशा है।

शुभकामनाओं सहित .....

डॉ. आर. एन. सिंह
(रक्षा सचिव पदक)
प्राचार्य

शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय , राजनांदगांव

।। संस्था की विशिष्टतायें ।।

- महाविद्यालय में अध्यापन में दृश्य-श्रव्य यंत्रों का उपयोग, समृद्ध ग्रन्थालय, उन्नत प्रयोगशालाएं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण व औद्योगिक भ्रमण की व्यवस्था।
- व्यक्तित्व विकास हेतु समय-समय पर विशेषज्ञों के व्याख्यान/कार्यशालाएं।
- विद्यार्थियों के लिये स्पोकन इंग्लिश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कक्षायें।
- विद्यार्थियों में सम्प्रेक्षण कला के विकास के लिये समूह-चर्चा, संगोष्ठियों, आदि का नियमित आयोजन।
- विद्यार्थियों में सृजनात्मक लेखन कला के विकास के लिये महाविद्यालयीन पत्रिका 'प्रज्ञा' का प्रकाशन।
- वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में शोध परियोजना कार्य।
- एन. आर. सी. एवं विभिन्न विभागों में विद्यार्थियों के लिये इंटरनेट की सुविधा।
- पूरा महाविद्यालय कैम्पस वाई-फाई।
- शैक्षणिक साफ्टवेयर GIS एवं SPSS की सुलभ उपलब्धता।
- विद्यार्थियों हेतु रेमीडियल एवं विशेष कक्षाएं।
- अंग्रेजी में सम्प्रेषण कला एवं शुद्ध उच्चारण हेतु इग्लिश लैंग्वेज लैब।
- महाविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित शोध जर्नल 'रिसर्च फ्रंटस' का प्रकाशन।
- हिन्दी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय में पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. द्वारा स्वीकृत शोध केन्द्र।
- विभिन्न विभागों द्वारा नियमित रुप से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शोध संगोष्ठियों का आयोजन।
- जन - जागरुकता कार्यक्रमों में एन. सी. सी., एन. एस. एस., यूथ रेड क्रास के माध्यम से विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी।
- विगत 15 वर्षों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में एन. सी. सी. कैडेट्स की सहभागिता।
- वाणिज्य के विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान सृजन हेतु 'कामर्स लैब'।
- प्राणीशास्त्र विभाग में विभिन्न प्रजातियों के नमूनों का संग्रहण।
- लगभग 1 लाख पुस्तकों से समृद्ध मुख्य ग्रन्थालय एवं विभागीय ग्रन्थालय तथा इन्फ्लीबनेट की सुविधा (सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क)।
- ग्रन्थालय में विद्यार्थियों के दैनिक अखबार, पत्रिकाओं व जर्नलस आदि के अध्ययन हेतु रिडिंग रुम।
- दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत इग्नू एवं पं. सुन्दरलाल शर्मा वि. वि. का अध्ययन केन्द्र।
- उच्च तकनीकी युक्त ई - क्लास रुम।
- खिलाड़ियों के लिये नगद प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था।
- नियमित कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन
- प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
- विद्यार्थियों के लिए रोजगार मार्गदर्शक एवं प्रशिक्षण तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा कैम्पस सलेक्शन।
- तीन साहित्य विभूतियों के कृतियों का संग्रहण केन्द्र मुक्तिबोध स्मारक, दर्शनीय स्थल त्रिवेणी परिसर एवं साहित्य मनीषियों के लिये सृजन संवाद।
- नक्सल पीड़ित एवं शत प्रतिशत विकलांग विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था/UGC से प्राप्त अनुदान से छात्र-शिष्यवृत्ति की सुविधा।
- पाल्य के बारे में अकादमिक प्रगति की जानकारी हेतु पालक - प्राध्यापक सम्मेलन का नियमित आयोजन।
- छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पुरुष/महिला चिकित्सकों की नि:शुल्क नियमित सेवायें।
- परिसर में सुंदर बॉटनीकल गार्डन की सुविधा।
- समुचित हवा एवं रोशनीयुक्त अध्ययन कक्ष।
- छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासनिक ब्लाक/कार्यालयीन स्टाफ की सुविधा।
- प्रत्येक सत्र में सभी विभागों द्वारा सामाजिक/राजनीतिक जागरुकता अभियान के तहत शहर के पड़ोसी ग्रामों में विशेष जनजागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- विज्ञान संकाय के तहत जैव-विविधता/नवीन वैज्ञानिक विषयों पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन।
- छात्रों के लिये समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु मार्गदर्शन/विशेष कोचिंग व्यवस्था।
- NET / SET कोचिंग व्यवस्था।
- प्रावीण्यता प्राप्त विद्यार्थियों के उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति अवलोकन करने की सुविधा।
- गर्ल्स कॉमन कक्ष।
- महाविद्यालय का गोद ग्राम डिलापहरी में जागरूकता एवं विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित।
- शिक्षक पालक संगोष्ठी आयोजित होती है।
- हेल्प डैस्क सुविधा। (बिना मान्यता के संचालित संस्थाओं के प्रति कार्यवाही संबंधी)
- अनुजाति एवं अनु. जन. जाति नि:शुल्क स्टेशनरी एवं पाठ्यक्रम पुस्तके।
- दानदाताओं द्वारा प्रदत्त पाठ्य पुस्तकों का विद्यार्थियों को निर्गम।
- अनु. जाति, अनु. जन. जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति तथा प्रावीण्यता प्राप्त विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति सुविधा।
- इंटररेक्टिव बोर्ड युक्त स्मार्ट क्लास रुम।
- जिम की सुविधा
- कैन्टीन की सुविधा
- मुख्य ग्रंथालय में संदर्भ ग्रंथों के जिरोक्स की सुविधा।
- कैम्पस में बास्केट बॉल की सुविधा।
- महाविद्यालय में ऑडीटोरियम की सुविधा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छ. ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06 से 07 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेगें।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना –

महाविद्यालय में प्रवेश/अस्थायी प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किए जावेगें। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगें। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से दस दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) मे हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के पन्द्रह दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा मे बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 04 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देगें।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- (एक सौ रुपये) अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6. महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ - साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेगें कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करगें जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हैं, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 **स्नातक स्तर , नियमित प्रवेश :-**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय के छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों का क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-**

(क) बी.काम./बी. एससी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम.काम./ एम. एमसी.

(गृहविज्ञान)/एम. ए. पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर, बी. एससी, उत्तीर्ण आवेदकों को एम. एससी/एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमितप्रवेश की पात्रता होगी सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल. एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल. बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल. एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल. एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, तो 40 % तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता वहां 45 % होगी। एल. एल. एम. पूर्वार्द्ध में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस. ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी. ए./बी. काम, डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम/ बी. एससी. / बी. एस. एससी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/ तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की परीक्षा प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जायें।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्थाव्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :-

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक / ऐटी -केन्टी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 45 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 07 के खण्ड 01 एवं 02 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अर्हक नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी। परन्तु आयु सीमा बंधन में छात्राओं को तीन वर्ष की छूट होगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रयोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुवंशित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए पाँच वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों मे प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/ विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10. 1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा :-

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में संबद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग - अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व

नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीकेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील / जिलों कीसीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाये। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32% सीटे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा। परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहां खण्ड (क) , (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है, तो उसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) ,(ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रुप से अवधारित किया जाएगा।

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थित, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र – पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रुप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंकों का अधिकार देकर दोनो वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होगें।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 समय – समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.8 कंडिका 12.1 में दर्शाइ गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन. सी. सी./एस. एस. एस./स्काउट्स :-

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/ रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन. एस.एस. / एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन. सी. सी. / एन. एस. एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन. सी. सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन. सी. सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन. सी. सी./एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थी को	15 प्रतिशत
13.1	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश	10 प्रतिशत
13.2	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल. एल. बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	05 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रुपांकन प्रतियोगिताऐं –

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्व विद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/ सांस्कृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म. प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	छत्तीसगढ़/म. प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम छ.ग. की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि :-

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण - पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगें। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण - पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारण किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र -

शासकीय महाविद्यालयों में पीएच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 04 वर्ष कर सकेगें। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण - पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेगें।

16. विशेष -

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टिकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेगें, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अंकेक्षित लिखकर प्रेषित न किया जावे।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार – आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय – समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरस्त / संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

नियमित विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :-

- विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जिसकी रसीद दी जाती है, के अतिरिक्त कोई भी शुल्क की मांग किये जाने पर प्राचार्य को सूचित करें।
- विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र लगाकर आना अनिवार्य है।
- नियमित कक्षाओं के दौरान बरामदे में चहल–कदमी न करें।
- परिसर स्वच्छ व साफ–सुथरा रखें।
- खाली कालखण्डों में विद्यार्थी मुख्य ग्रंथालय जाकर दैनिक अखबारों, पत्र–पत्रिकाओं एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करें।
- नियमित कक्षाओं के चलते विद्यार्थी त्रिवेणी परिसर में भ्रमण न करें, ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्टैण्ड में वाहन रखने के उपरांत 'टोकन' अवश्य प्राप्त करें एवं संभाल कर रखें।
- शालिन वेशभूषा के साथ महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करें।
- शिक्षक–अभिभावक बैठकों में अपने अभिभावक/पालक को अवश्य लायें।
- निर्धारित शुल्क पटाकर विद्यार्थी 'नेट रिसोर्स सेन्टर' में इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
- ध्यान रहे पूरा महाविद्यालय परिसर सी.सी. कैमरे की निगरानी में है।

–: अपील :–

समस्त अभिभावकों/नागरिकों से अपील :–

अध्येताओं के सर्वांगिण विकास एवं श्रेष्ठतर शिक्षा देने के लिए महाविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध है। शिक्षा संस्थाओं के संधारण एवं अध्येयताओं के लिए सुविधाओं के प्रबंधन के बढ़ते व्यय को ध्यान में रखते हुए, शासन ने जनभागीदारी योजना द्वारा नागरिकों में से अपेक्षा की है कि वे अपने क्षेत्र की उच्च शिक्षा संस्थाओं का मुक्त हस्त से दान राशि देकर एवं अन्य तरह से सहयोग प्रदान करेंगे। शासन की इसी भावना के अनुरूप महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति ने भी समाज के सभी वर्गों से अधिकाधिक दान राशि देकर सहयोग प्रदान करने की अपील की है। दान राशि हेतु एक हजार एवं पांच सौ रूपये के दान पत्रक महाविद्यालय में उपलब्ध है। अत: सभी से अपील है कि अधिकाधिक दान पत्र खरीदकर शिक्षा के इस राष्ट्रीय महत्व के पुनीत कार्य में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

-: विशेष अपील :-

(महाविद्यालय में अध्ययन कर चुके पूर्व छात्रों से)

छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे इस गौरवमयी संस्था के उत्तरोत्तर विकास में अपना अमूल्य योगदान/सहयोग दें। महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास में कई प्रकार से योगदान/सहयोग दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अपने परिजन की स्मृति में मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार/मैडल, ग्रंथालय के लिए पुस्तकें आदि, खेलकूद के क्षेत्र में सुविधा/पुरस्कार, निर्धन छात्रों को सहायता, महाविद्यालय परिसर के विकास में सहयोग आदि। महाविद्यालय में ''एलूमिनी एसोसिएशन'' (Alumini Association) का विधिवत गठन किया जा चुका है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क करने का कष्ट करेंगे।

-: महाविद्यालय में उपलब्ध विशेष सेवाएं :-

- निर्धन विद्यार्थी, जिसे शासन द्वारा कोई सहायता प्राप्त नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों हेतु प्राध्यापकों के अंशदान से निर्मित 'हेल्प क्लब' की ओर से आर्थिक सहायता दी जायेगी।
- विकलांग विद्यार्थियों के लिए परिसर में आवागमन हेतु 'मोटिवेशन हॉल' में ट्राइसिकल की व्यवस्था है।
- नियमित विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए महाविद्यालय मुख्य ग्रंथालय में न्यूनतम दर पर छायाप्रति (जेराक्स) करवाने की सुविधा उपलब्ध है।

कक्षावार सीटों की संख्या :-

	कक्षा		सीट
1.	बी.ए. भाग एक	-	400
2.	बी.ए. भाग एक (मनोविज्ञान)	-	40
3.	बी.कॉम भाग एक	-	320
4.	बी. कॉम. भाग एक कम्प्यूटर एप्लीकेशन	-	30
5.	बी.सी.ए.	-	40
6.	बी.एससी. भाग एक (बायो)	-	150
7.	बी. एससी. भाग एक और रसायन औ. मत्सकी ग्रुप	-	40
8.	बी.एससी. भाग एक बायोटेक ग्रुप	-	60
9.	बी. एससी. भाग एक (गणित)	-	150
10.	बी.एससी. भाग एक (गणित कम्प्यूटर साइंस)	-	40
11.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र प्रत्येक विषय में)	-	50
12.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (भूगोल)	-	20
13.	एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर	-	50
14.	एम. कॉम प्रथम सेमेस्टर (गणित)	-	25
15.	एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर (रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र) प्रत्येक विषय में	-	20

जनभागीदारी समिति के अन्तर्गत स्वावित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम

16.	एम.एससी. (कम्प्यूटर साईसं)	–	20	10000/–
17.	एम.एससी. (माइक्रोबायोलॉजी)	–	10	15000/– (प्रारंभ नहीं)
18.	एम.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी)	–	10	15000/–
19.	पी.जी.डी.सी.ए.	–	35	
20.	डी.सी.ए.	–	45	
21.	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	–	40	8000/–
22.	बी.जे.एम.सी. प्रथम सेमेस्टर	–	25	3000/–
23.	एम.एस.डब्ल्यू	–	25	10000/–
24.	स्नातकोत्तर रुरल डेव्लपमेंट	–	30	2000/–
25.	स्पोकन इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग	–	60	3000/–
26.	एड–ऑन कोर्स (इंफरमेशन टेक्नोलॉजी,	–	40	3000/–
27.	फुड साइंस, ई.ई. एम. प्रत्येक विषय में)	–	40	2000/–

बी.ए. भाग एक – 1. अनिवार्य विषय – आधारपाठ्यक्रम (हिन्दी, भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन)
2. वैकल्पिक विषय तीन होंगे। निम्नलिखित छः समूह में से किसी भी समूह से एक विषय का चयन करना होगा।

विषय समूह – 1. राजनीति विज्ञान/गृहविज्ञान (इनमे से एक) 2. हिन्दी साहित्य/संस्कृत साहित्य (इनमें से एक)
3. दर्शन शास्त्र/मनोविज्ञान/भूगोल (इनमें से एक) 4. इतिहास/अंग्रेजी साहित्य (इनमें से एक)
5. समाज शास्त्र 6. अर्थशास्त्र

बी.एस.सी. भाग एक – 1. अनिवार्य विषय – आधारपाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा,अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण)
2. वैकल्पिक विषय – निम्नलिखित इक्कीस समूहों में से किसी एक समूह का चयन करना होगा।

विषय समूह – 1. भौतिकी शास्त्र/रसायन शास्त्र/गणित 2. रसायन शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/प्राणीशास्त्र
3. रसायन शास्त्र/भौतिकी शास्त्र/भूगर्भशास्त्र 4. रसायन शास्त्र/प्राणीशास्त्र/भूगर्भशास्त्र
5. भूगर्भशास्त्र/भौतिकी शास्त्र/गणित 6. रसायन शास्त्र/गणित/भूगर्भशास्त्र
7. रसायन शास्त्र/प्राणीशास्त्र/मानव शास्त्र 8. रसायन शास्त्र/गणित/मानव शास्त्र
9. भौतिकी शास्त्र/गणित/कम्प्यूटर साइंस (स्व–वित्तिय)
10. रसायन शास्त्र/प्राणीशास्त्र/फिशरीज 11. रसायन/प्राणीशास्त्र/माइक्रो बायोलॉजी
12. रसायन/वनस्पति शास्त्र/बायोटेक्नोलॉजी (स्व–वित्तिय)

व्यवसायिक पाठ्यक्रम – 1. रसायन, प्राणीशास्त्र , औद्योगिक मत्स्य एवं मत्स्यकी
2. औद्योगिक रसायन, भौतिकशास्त्र, गणित
3. औद्योगिकी रसायन, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र

बी. कॉम भाग 1 – 1. अनिवार्य विषय आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा,अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण)
2. कम्प्यूटर एप्लीकेशन (स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत) अतिरिक्त विषय के रूप में लिया जा सकता है।

स्नातकोत्तर कक्षायें – स्वशासी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में संख्यानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

कला संकाय – 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. अर्थशास्त्र 4. राजनीति विज्ञान 5. इतिहास 6. समाजशास्त्र
7. भूगोल 8. संस्कृत 9. ग्रामीण विकास का अर्थशास्त्र 10. एम.एस.डब्लू (मास्टर ऑफ सोशलवर्क)

विज्ञान संकाय – 1. गणित 2. रसायन 3. प्राणीशास्त्र 4. वनस्पतिशास्त्र
5. भौतिक शास्त्र 6. कम्प्यूटर साइंस 7. बायोटेक्नालॉजी

वाणिज्य संकाय – वाणिज्य (एम. कॉम.)
एड – ऑन कोर्स – इंफरमेशन टेक्नोलॉजी, फुड साइंस, ई.ई.एम. , स्पोकन इंग्लिश एण्ड क्रियेटिव राइटिंग
बी.जे.एम.सी. – सभी अनिवार्य विषय
पी.जी.डी.सी.ए. – वाणिज्य विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर कम्प्यूटर डिप्लोमा
डी.सी.ए. – स्नातक कक्षा में प्रवेशित छात्र स्नातक अध्ययन के साथ–साथ डी.सी.ए. में भी प्रवेश ले सकते हैं।

नोट : 1. प्रत्येक कक्षा में निर्धारित छात्र संख्या में छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप अजा/अजजा/अपिव/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/अन्य के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

2. यदि संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर सेमेस्टर लागू किये जाने का आदेश जारी किया जाता है, तो इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर लागू किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

कौशल प्रशिक्षण हेतु चयन किये गये MES सेक्टर	कौशल प्रशिक्षण हेतु MES code एवं Course		निर्धारित संख्या
	MES Course Code	Name of MES Courses	
BANKING & ACCOUNTINC BAN	BAN 101	Accounting	30
ELECTRONICS ELC	ELC 201	Basic Electronics (Repair & Maintenance of Power supply, inverters and UPS	30
	ELC 202	Installaion & Maintenance of DTH System	60
	ELC 205	Repair & Maintenance of TV Receiver	30
	ELC 206	Maintenance & Repair of Electronic Test Equipment	30
	ELC 207	Repair & Maintenance of Cellular Phone	30
	ELC 208	Repair & Maintenance of Intercom System	30
	ELC 2010	Repair & Maintenance PA & Audio System	30
	ELC 209	Instllation & Maintenance of Electronic Equipments in Cell Phone towers	30
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOY ICT	ICT 101	Comuter fundamentals , MS - Office & Internet	30
	ICT 102	Tally	30
	ICT 203	Desk Top Publishing	30
	ICT 206	Computer Networking	30
	ICT 112	Fundamentals of JAVA ™ Programming Language - SL 110	30
SOFT SKILLS SS	SS101	Soft Skills for Base Line Staff in Service sector	60
	SS102	Spoken English and Communication Skill	60
	SS203	Soft Skills for Line Assistant	60
	SS304	Soft Skills for Supervisors	60

प्रवेच्छुक विद्यार्थी प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रभारी प्राध्यापक
(डॉ. एच. एस. अलरेजा)
मो. 9425245714

शुल्क संरचना :-

शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा, जिसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
शुल्क विवरण निम्नानुसार है -

शासकीय शुल्क -

		वार्षिक
1.	शिक्षण शुल्क	
(अ)	बी.एससी. भाग - 1, 2 एवं 3 -	115.00
(ब)	बी.ए. भाग - 1,2 एवं 3	115.00
(स)	बी.कॉम भाग - 1,2 एवं 3	115.00
(द)	एम.ए. , एम. कॉम, एम. एससी., गणित (प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर) -	126.00
(इ)	एम.एससी. रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र (प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर)	135.00
2.	प्रयोगशाला शुल्क विज्ञान संकाय (एम.एससी. गणित को छोड़कर) विज्ञान के समस्त छात्रों से एवं कला संकाय के प्रायोगिक विषय भूगोल एवं गृह विज्ञान	40.00
3.	स्टेशनरी शुल्क	5.00
4.	प्रवेश शुल्क	5.00
5.	पुन: प्रवेश शुल्क (आवश्यकतानुसार)	10.00

अशासकीय शुल्क -

	पी.डी. खाता	
1.	छात्र संघ कल्याण शुल्क	10.00
2.	परिचय - पत्र	30.00
3.	सायकल स्टैण्ड फीस(यदि सायकल स्टैण्ड हो तो)	100.00
4.	चिकित्सा शुल्क	20.00
5.	प्रवेश विलंब शुल्क	100.00
6.	स्थानीय परीक्षा शुल्क (त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक)	50.00
7.	छात्रा कक्ष	20.00
8.	रेडक्रास शुल्क	25.00
9.	पुस्तकालय विकास शुल्क - स्नातक	21.00
	स्नातकोत्तर	51.00
10.	विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा शुल्क	150.00
11.	नामांकन शुल्क	100.00
12.	नामांकन आवेदन पत्र	50.00
13.	नाम/उपनाम में परिवर्तन शुल्क	100.00
14.	अप्रवासन शुल्क (यदि आवेदक ने छ.ग. के बाहर के किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है,तथाविदेशी छात्रों से)	300.00
15.	धरोहर राशि - स्नातक - विज्ञान, कला , वाणिज्य एवं अन्य	100.00
16.	धरोहर राशि - स्नातकोत्तर - विज्ञान, कला, वाणिज्य एवं अन्य	200.00
17.	जनभागीदारी स्थानीय प्रबंधन समिति शुल्क	400.00
	छात्रावास के लिये -	
18.	छात्रावास विद्युत शुल्क (वार्षिक) यदि विद्युत खर्चे इससे अधिक हो तो छात्रों से अधिक राशि ली जावें।	700.00

20.	छात्रावास निर्धन सहायता	15.00
21.	छात्रावास फंड विकास	15.00
22.	छात्रावास शुल्क (वार्षिक)	300.00
23.	पोर्टल चार्जेस	25.00

सम्मिलित निधि शुल्क (ए.एफ.) –

24.	छात्र संघ शुल्क	2.00
25.	सम्मिलित निधि शुल्क	20.00
26.	क्रीड़ा शुल्क	12.00
27.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	20.00
28.	महाविद्यालयीन विकास शुल्क	100.00
29.	छात्र कामन रुम फीस (वाचनालय इत्यादि)	20.00
30.	महाविद्यालयीन पत्रिका शुल्क	20.00
31.	अन्य (विषय परिवर्तन का शुल्क)	100.00

परीक्षा शुल्क – निर्धारित परीक्षा शुल्क अक्टूबर, नवम्बर माह में देय होगा।

स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्न शुल्क अतिरिक्त देय होगें।

संचालित कक्षाओं का शुल्क

1.	एड आन कोर्स (आई.टी.) प्रतिवर्ष	3000.00
2.	एड आन कोर्स (फूड क्वालिटी/इंस्टूमेंटमेंटनेस) प्रतिवर्ष	2000.00
3.	बी.जे.एम.सी. प्रति सेमेस्टर	3000.00
4.	कम्प्यूटर साईंस (विज्ञान) बायोटेक्नोलॉजी विषय के छात्र–छात्राओं को स्ववित्तीय योजना कोर्स के कारण अतिरिक्त शुल्क (एक मुश्त)	5000.00
5.	कम्प्यूटर साईंस (वाणिज्य) के छात्र–छात्राओं को स्ववित्तीय योजना कोर्स के कारण अतिरिक्त शुल्क (एक मुश्त)	5000.00
6.	औद्योगिक रसायन के लिये अतिरिक्त शुल्क	1000.00
7.	स्पोकन इंग्लिश एवं क्रियेटिव राइटिंग डिप्लोमा	3000.00
8.	मनोविज्ञान	नि:शुल्क
9.	बी.सी.ए.	8000.00
10.	एम.एस.डब्ल्यू	10000.00
11.	अर्थशास्त्र रुरल डेवलपमेंट	2000.00
12.	कम्प्यूटर साईंस	10000.00
13.	माइक्रोबायोलॉजी	15000.00
14.	बायोटेक्नोलॉजी	15000.00

नोट –
1. सभी प्रकार के शुल्कों में छत्तीसगढ़ शासन/रविशंकर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय जनभागीदारी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलने पर शैक्षणिक शुल्क सम्पूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि या महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इसका कोई संबंध नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शासकीय संस्था में स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितनी अवधि के लिए छात्र शिक्षण शुल्क का भुगतान कर चुका है वह शुल्क पुन: नहीं देना होगा। ऐसे छात्र को महाविद्यालय के शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. पुरक प्राप्त छात्रों को प्रवेश के समय तीन माह का अध्यापन शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शुल्क संबंधी रियायतें :– शुल्क रियायत की पात्रता केवल पूर्ण कालिक छात्र को है –

(अ) छात्राओं को पूर्ण शिक्षण शुल्क की मुक्ति शासन द्वारा है।

(ब) सभी वर्ग की छात्राएं शिक्षण शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क से मुक्त होगी।

(स) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षण शुल्क की मुक्ति है।

(द) द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्नातक स्तर तक शिक्षण शुल्क मुक्त है।

(इ) दो से अधिक भाई – बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययनरत हो तो बड़े को पूर्ण शिक्षण शुल्क तथा शेष को आधा शिक्षण शुल्क देय होगा। अन्य शुल्क सभी को देय होगा।

(य) नक्सल प्रभावितों के बच्चों को तथा पूर्ण अस्थि विकलांग एवं नेत्रहीन विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा जनभागीदारी द्वारा दी जाती है।

निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष – महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त निर्धन (गरीबी रेखा से नीचे) छात्र/छात्राओं को निर्धन सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, इस हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को अपना आवेदन 31 अक्टूबर के पूर्व सम्बन्धि लिपिक के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

पुस्तकालय :– (अ) महाविद्यालय से नियमित स्नातक स्तर के छात्रों को पुस्तक निर्गमित होगी। पुस्तकें समय सीमा में लौटाना आवश्यक होगा अन्यथा एक रूपया प्रतिदिन के हिसाब से विलंभ शुल्क लगेगा।

(ब) पुस्तकालय की पुस्तकों का रख–रखाव की पूर्ण जवाबदारी छात्र की होगी। निर्गमन के बाद विकृत होने पर पुस्तक या तो नई वसूल की जायेगी अथवा वर्तमान मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य तथा पाँच रूपये अर्थदण्ड वसूला जायेगा।

नियमित विद्यार्थियों के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु नियमित विद्यार्थियों के लिये निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाती है, एवं गतिविधियों का संचालन किया जाता है , इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारियां महाविद्यालय के सूचना पटल में चस्पा की जाती है –

(1) **क्रीड़ा** – खेल प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय में एक क्रीड़ा अधिकारी है, अधिकारी द्वारा क्रीड़ा प्रशिक्षण एवं संचालन का कार्य किया जाता है।

(अ) आऊटडोर गेम – फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट,, साफ्टबाल, नेटबाल, बास्केटबाल,, व्हालीबाल, खो–खो, कबड्डी, हैण्डबाल, भारीतोलन, शाहीतोलन, एवं शरीर सौष्ठव।

(ब) इनडोर गेम – शतरंज, बैडमिंटन, टेबलटेनिस, जूड़ो, कुश्ती।

सत्र के अंत में, शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विधाओं में महाविद्यालयीन क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया जाता है।

2. **एन.सी.सी. इकाईयां** – महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं में अनुशासन एवं देशभक्ति की भावना के विकास हेतु लड़के एवं लड़कियों के लिये एन.सी.सी. की दो इकाईयां है, प्रत्येक इकाई में 100 विद्यार्थियों का पंजीयन किया जा सकता है। महाविद्यालयीन में नेवल भी एक इकाई गतिशील है।

3. **एन.एस.एस.**– विद्यार्थियों में समाज सेवा एवं रचनात्मक जनकल्याण कार्यों हेतु प्रेरित कर हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयां है , समाज सेवा के कार्य में सक्रिय भागीदारी एवं योगदान से स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। दोनो इकाईयों में भी छात्राओं को भी सक्रिय भागीदारी होती है।

4. **यूथरेड क्रॉस** – नियमित विद्यार्थियों के लिये महाविद्यालय में यूथ रेड क्रास संचालित है, यूथ रेड क्रास की सत्र में जनजागरुकता अभियानों में सक्रिय सहभागिता होती है, विद्यार्थियों सदस्यों द्वारा आवश्यकतानुसार रक्तदान, किया जाता है, एवं स्वास्थ परीक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

5. **रोजगार मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ :–** कैरियर कॉसिलिंग कैम्पस इंटरव्यू, एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग आदि की व्यवस्था प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है,, विगत कई वर्षो से देश की प्रसिद्ध कम्पनियों द्वारा महाविद्यालय के सैंकड़ों विद्यार्थियों को रोजगार हेतु चयनित किया है।

6. **स्टडी ग्रुप** – स्नातकोत्तर स्तर पर प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा विषय संबंधी प्रस्तुतीकरण दिया जाता है, प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य ज्ञान एवं सम्प्रेषण कला का विकास करना है, इसके साथ ही विभिन्न संगोष्ठियों एवं परियोजनाओं हेतु भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन सुलभ है।

स्वर्ण पदक – मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

महाविद्यालय द्वारा मेधावी छात्रों के आधार पर कक्षावार , विभिन्न विषयों के लिए स्वर्ण पदक (बाहर के गणमान्य नागरिकों, द्वारा दान स्वरुप) प्रदान किये जाते हैं। जिससे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन हो सकें।

क्र.	कक्षा	स्वर्ण पदक का नाम	दानदाताओं के द्वारा प्रदत्त
1.	बी.ए.भाग एक	स्व. श्री डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्वर्ण पदक	श्री सुरेश मिरानी
2.	बी.एससी. भाग एक (गणित)	स्व. श्री नारायण लड्ढा स्वर्ण पदक	श्री निवास दास लड्ढा
3.	बी.एससी. भाग एक(बायो)	स्व. श्री गिरिजाशंकर शर्मा स्वर्ण पदक	श्रीमती सरोजमणी शर्मा
4.	बी.कॉम. भाग एक	स्व. श्री मूलचन्द लोहिया स्वर्ण पदक	श्री जेठमल महेश्वरी
5.	बी. कॉम. एक (लेखांकन)	स्व. श्री कैलाश गौतम स्वर्ण पदक	श्रीमती शकुंतला गौतम
6.	बी.ए. भाग दो	स्व. श्रीमति रेखा मुखर्जी स्वर्ण पदक	डॉ. श्रीमती कमल मुखर्जी
7.	बी.एससी. भाग – 2 (गणित)	स्व. श्री तनुज कोहली स्वर्ण पदक	श्री एस.पी. कोहली
8.	बी.एससी. भाग – 2 (बायो.)	स्व. श्री भगवान प्रसाद दीक्षित स्वर्ण पदक	प्रो. आर.पी. दीक्षित
9.	बी. काम. भाग – 2	स्व. श्री डॉ. योगेश चंद सक्सेना स्वर्ण पदक	डॉ. श्रीमती नीलू श्रीवास्तव
10.	बी. ए. भाग तीन	स्व. श्री हरिवल्लभ जानी स्वर्ण पदक	श्री महेश जानी
11.	बी.ए. भाग तीन (संस्कृत)	स्व. श्री नारायण प्रसाद मिश्र स्वर्ण पदक	डॉ. सुरूचि मिश्रा
12.	बी.ए. भाग तीन (हिन्दी साहित्य)	स्व. श्री मेघनाथ कन्नौजे स्वर्ण पदक	डॉ. सुधा सोनी
13.	बी.एससी. भाग –3 (गणित)	स्व. श्रीमति झमकू बाई कोठारी स्वर्ण पदक	श्री इंदरचंद कोठारी
14.	बी.एससी. भाग – 3 (बायो)	स्व. श्री गोपीलाल लोहिया स्वर्ण पदक	श्री गोवर्धन दास लोहिया
15.	बी.एससी. भाग – 3(औद्यो. रसायन)	स्व. श्री अजय मुण्डेल स्वर्ण पदक	प्रो. बी.एल. मुण्डेल
16.	बी. एससी. भाग – 3 (बायोटेक)	स्व. श्रीमति तिजिया देवी कन्नोजे स्वर्ण पदक	प्रो. एस.आर. कन्नौजे
17.	बी.एससी. भाग – 3 (गणित)	स्व. श्रीमति दीपाली बेन लक्ष्मण भाई पटेल स्वर्ण पदक	श्री रितेष पटेल
18.	बी. एससी. भाग – 3 (कम्प्यू. सां.)	स्व. श्री नारायण शिवदास रामानी स्वर्ण पदक	श्री शिवराज भाई पटेल
19.	बी. एससी. भाग –3 में सर्वाधिक अंक	श्रीमति नर्मदा बेन स्वर्ण पदक	श्री शिवराज भाई पटेल
20.	बी. कॉम भाग – 3	स्व. श्री मांगीलाल कोठारी स्वर्ण पदक	श्री जीवन चंद कोठारी
21.	एम.ए. पूर्व हिन्दी	स्व. कु. उषा किरण सोनी स्वर्ण पदक	श्री बद्री विशाल सोनी
22.	एम.ए. पूर्व अंग्रेजी	स्व. श्री बी. एन. राय स्वर्ण पदक	श्री बसंत राय
23.	एम. ए. पूर्व संस्कृत	स्व. श्री अजय बहादुर सिंह स्वर्ण पदक	प्रो. खड्ग बहादुर सिंह
24.	एम. ए. पूर्व अर्थशास्त्र	स्व. श्री पूनमचंद कोठारी स्वर्ण पदक	श्रीमती राजकुंवर बाई कोठारी
25.	एम. ए. पूर्व इतिहास	स्व. श्री केदारनाथ डागा स्वर्ण पदक	श्री पुरूषोत्तम डागा
26.	एम.ए. पूर्व भूगोल	स्व. श्री एम. आर. चन्द्राकर स्वर्ण पदक	डॉ. आई.एस. चन्द्राकर
27.	एम. ए. पूर्व समाजशास्त्र	स्व. श्री दशरथ प्रसाद जोशी स्वर्ण पदक	श्री ए.के. जोशी
28.	एम. ए. पूर्व राजनीति शास्त्र	स्व. श्री जीवनचंद बैद स्वर्ण पदक	श्री किशोर बैद
29.	एम.एससी. पूर्व गणित	स्व. श्री हरिदर्शन सिंह बघेल स्वर्ण पदक	श्री शिशिर दर्शन सिंह बघेल
30.	एम.एससी. पूर्व भौतिक	स्व. श्री बी. एल. शर्मा स्वर्ण पदक	डॉ. प्रपुल्ल शर्मा
31.	एम.एससी. पूर्व रसायन	स्व. श्री बी. के. परसाई स्वर्ण पदक	श्री ए.के. परसाई
32.	एम.एससी. पूर्व वनस्पति शास्त्र	स्व. श्रीमती सुधा मिश्रा स्वर्ण पदक	श्री उदय मिश्रा
33.	एम. एससी. पूर्व प्राणीशास्त्र	स्व. श्रीमति मणी बेन पटेल स्वर्ण पदक	श्री रमेश पटेल
34.	एम. कॉम पूर्व	स्व. श्री टीकमदास माखीजा स्वर्ण पदक	डॉ. ए.एन. माखीजा
35.	स्नातकोत्तर पूर्व में सर्वाधिक अंक	स्व. डॉ. मिश्रीलाल मोहबे स्वर्ण पदक	डॉ. रमेश मोहबे
36.	एम. ए. अंतिम हिन्दी	स्व. श्रीमती रामप्यारी देवी सारडा स्वर्ण पदक	श्री नंदकिशोर रामनिवास सारडा
37.	एम. ए. अंतिम अंग्रेजी	स्व. श्री बालाराम खंडेलवाल स्वर्ण पदक	श्री महेश कुमार खण्डेलवाल
38.	एम.ए. अंतिम संस्कृत	स्व. श्री रविशंकर पचौरी स्वर्ण पदक	श्री अशोक पचौरी
39.	एम. ए. अंतिम अर्थशास्त्र	स्व. श्री बालचंद कोडामल डागा स्वर्ण पदक	में. बालचंद कोडामल
40.	एम. ए. अंतिम इतिहास	स्व. श्री प्रकाशराव नायडू स्वर्ण पदक	श्रीमती लीला रवि पचौरी
41.	एम. ए. अंतिम भूगोल	स्व. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव स्वर्ण पदक	श्रीमती सुमति श्रीवास्तव
42.	एम. ए. अंतिम समाज शास्त्र	स्व. पं. किशोरी लाल शुक्ला स्वर्ण पदक	श्री कन्हैया लाल अग्रवाल
43.	एम. ए. अंतिम राजनीति शास्त्र	स्व. श्रीमती उमा देवी डागा स्वर्ण पदक	श्री शंकर लाल डागा

क्र.	कक्षा	स्वर्ण पदक का नाम	दानदाताओं के द्वारा प्रदत्त
44.	एम. एससी. अंतिम गणित	स्व. श्री धोकलचंद कोठारी स्वर्ण पदक	श्री पूनम चंद कोठारी
45.	एम. एससी. अंतिम भौतिक	स्व. प्रो. एन. के. श्रीवास्तव स्वर्ण पदक	श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव
46.	एम.एससी. अंतिम रसायन	स्व. श्री ताराचंद पचौरी स्वर्ण पदक	श्री रवि पचौरी
47.	एम.एससी. अंतिम वनस्पतिशास्त्र	स्व. श्री नर्मदा सिंह ठाकुर स्वर्ण पदक	श्री राजेश सिंह राजपूत
48.	एम.एससी. अंतिम प्राणीशास्त्र	स्व. श्री डॉ. शरद राव उबगड़े स्वर्ण पदक	श्रीमती पुष्पा शरद उबगड़े
49.	एम.कॉम. अंतिम	स्व. श्री नथमल डागा स्वर्ण पदक	श्री नंदलाल डागा
50.	स्नातकोत्तर अंतिम में सर्वाधिक अंक	स्व. श्री पूनमचंद कोठारी स्वर्ण पदक	श्रीमती राजकुंवर बाई कोठारी
51.	एन.एस. एस. छात्र	स्व. श्रीमती चंचल बाई आसकरण कोचर स्वर्ण पदक	श्रीचंद कोचर
52.	क्रीड़ा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि (छात्र)	स्व. श्री एन.आर. पिल्ले स्वर्ण पदक	
53.	क्रीड़ा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि (छात्रा)	स्व. श्रीमती मानकुंवर देवी पटेल स्वर्ण पदक	प्रो. श्रीमती निर्मला उमरे
54.	एन.सी.सी. छात्रा विशेष उपलब्धि	स्व. श्री लालचंद गिडिया स्वर्ण पदक	में. मुकेश टेक्सटाईल्स
55.	एन.सी.सी. बेस्ट कैडेट	स्व. श्रीमती रमादेवी पाण्डेय स्वर्ण पदक	श्री विजय पाण्डेय
56.	एन.सी.सी. विशेष उपलब्धि	स्व. श्री देवनारायण सिंह वक्षगोत्री स्वर्ण पदक	प्रो. पी.पी. सिंह
57.	कला निकाय में सर्वाधिक अंक	स्व. पं. गंगाप्रसाद मिश्र स्वर्ण पदक	डॉ. सुरूचि मिश्रा
58.	विज्ञान निकाय में सर्वाधिक अंक	स्व. श्री नारायण प्रसाद श्रीवास्तव स्वर्ण पदक	प्रो. आर.के. श्रीवास्तव
59.	वाणिज्यिक निकाय में सर्वाधिक अंक	स्व. प्रो. बी. के. तिवारी स्वर्ण पदक	श्रीमती वीणा तिवारी
60.	महाविद्यालय में सर्वा. अंक प्राप्त (छात्रा)	स्व. श्रीमती सरला खन्ना स्वर्ण पदक	डॉ. आर.एस. खन्ना
61.	महाविद्यालय में सर्वा. अंक प्राप्त (छात्र)	स्व. श्रीमती सरस्वती देवी पाठक स्वर्ण पदक	डॉ. गीता पाठक
62.	पीजीडीसीए	स्व. श्री दीपचंद जी लोहिया स्वर्ण पदक	श्री राजेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र लोहिया
63.	एन.सी.सी. नेवल	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशलचंद जी बैद
64.	बी.जे.एम.सी. प्रथम	स्व. श्री चन्द्रकांत ठाकुर स्वर्ण पदक	श्रीमती माधुरी ठाकुर
65.	बी.जे.एम.सी. द्वितीय	स्व. श्रीमती नीला तिवारी स्वर्ण पदक	कु. आभा तिवारी
66.	बी.जे.एम.सी. अंतिम	स्व. श्री एस. डी. भारती स्वर्ण पदक	श्री रामजी भारती
67.	डी.सी.ए.	स्व. श्रीमती बीना पानी गांगुली स्वर्ण पदक	डॉ. श्रीमती कमल मुखर्जी
68.	बी-सी.ए. प्रथम	स्व. श्रीमती मीना देवांगन स्वर्ण पदक	डॉ. कैलाश कुमार देवांगन
69.	बी-सी.ए. द्वितीय	स्व. श्री नंद किशोर तन्ना स्वर्ण पदक	श्री बाबू भाई तन्ना

छात्रवृत्तियां -

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

पोस्ट मैट्रिक आदिम जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति की पात्रता निम्नानुसार होगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आय सीमा - 200000. 00 (दो लाख से अधिक न हो)

पिछड़ा वर्ग - 100000.00 (एक लाख से अधिक न हो)

संलग्न - आय की मूल प्रति , जाति (तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित) एवं अंकसूची की छायाप्रति, गेप होने पर गेप सर्टिफिकेट, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति। (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑन लाईन द्वारा भरा जावेगा।)

2. बी. पी. एल. छात्रवृत्ति (गरीबी रेखा से नीचे)

छात्र - छात्रा के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारी हो।

संलग्न - आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति (24000.00 से अधिक न हो) तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, जातिप्रमाण पत्र, अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, इलाहाबाद बैंक का खाता क्रमांक की छायाप्रति।

3. योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत से अधिक प्राप्त छात्र-छात्राओं को)

संलग्न - आय 1 लाख से अधिक न हो आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, बारहवीं अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति।

4. केन्द्रीय छात्रवृत्ति (80 प्रतिशत से अधिक छात्र-छात्राओं को)

संलग्न - बारहवीं अंकसूची की छायाप्रति , प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, नोटरी द्वारा शपथ पत्र आय की मूलप्रति।

5. **निर्धन छात्रवृत्ति –**

संलग्न – आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति (25000.00 से अधिक न हो) तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, गरीबी रेखा का कार्ड, अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति। आवेदन की अंतिम तिथि 30/12/2013

6. **अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त छात्र–छात्राओं को)**

संलग्न – आयप्रमाण पत्र की मूलप्रति तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, जातिप्रमाण पत्र, अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, नोटरी द्वारा शपथ पत्र।

(अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आन लाईन द्वारा भरा जायेगा)

आचार संहिता –

प्रत्येक छात्र/छात्रा को यह ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो अनुशासन का सदा पालन करें। कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें। धुम्रपान एवं मादक पदार्थों को सेवन वर्जित है। कॉलेज की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है। आंदोलन, हिंसा, आतंक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न निकालें अपितु उन्हें गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें। दलगत राजनीति दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जाएगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा। उन नियमों के भंग होने पर छात्र/छात्रा को कालेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

सामान्य नियम –

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डकारक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर – उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है, विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दगलत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं, अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत –

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीनता क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक एवं मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यता नहीं कर सकता / सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :–

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यापद हो जाए या डरा – धमकाकर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अनुरोध , गलत ढंग से बंदी बनाने चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरुप :–

रैगिंग निम्नांकित रुपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :–

स्पष्ट आदेश –

सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए।
सामूहिक कवायद करने के लिए।
सीनियरों के क्लास – नोट्स उतारने के लिए ।
अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए ।
सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए ।
अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए।
नये छात्रों को सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए ।
शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना।
कामुक संकेतार्थ, वाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
नंगा करना, चुंबन लेना आदि ।
अन्य अश्लीलताएं करना।
उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रुपों से युक्त हैं।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड –

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा – उत्सव भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रुपये 25,000/– तक

अध्ययन संबंधी नियम –

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन. सी. सी. / एन.एस.एस. में भी लागू होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाईयों के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फॅर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय – सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सन्मुख करेगें।

अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों का उद्धरण :–

म. प्र. /छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के आधीन बनाए गए अध्यादेश क्र. 7 की धारा – 1 के अनुसार महाविद्यालय के किसी छात्र/छात्रा के द्वारा महाविद्यालय अथवा बाहर अनुशासन कार्यवाही की जावेगी अनुशासनहीनता के लिए उक्त आध्यादेश में निम्नांकित दण्ड प्रावधान है :–

(क) निलम्बन (ख) निष्कासन (ग) रेस्टिकेशन (घ) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

बुक बैंक –

महाविद्यालय में निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बी. पी. एल . बुक बैंक की सुविधा है। परीक्षा अवधि तक के लिए पुस्तकों का डेढ़ गुना मूल्य जमा कर पुस्तकें ली जा सकती है।

छात्रावास –

महाविद्यालय में 10 छात्रों के आवास के लिए छात्रावास है। ग्रामीण अंचल से आए छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। छात्रावास में प्रवेश के लिए शासन एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आरक्षण, आवेदन पत्र एवं शुल्क की व्यवस्था है। छात्रों को छात्रावास कि नियमों का पालन करना होगा।

विशेष –

(1) महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या व मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(2) प्रवेश के नियमों में छ. ग. शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

महाविद्यालय के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम

- बी.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी, औद्योगिकी रसायन, औद्योगिकी मत्स्यकी, कम्प्यूटर साइंस/माइक्रो बायोलॉजी)
- बी. काम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)
- एड ऑन कोर्स (फूड साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेस)
- बी.जे.एम.सी. (पत्रकारिता का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम)
- पी.जी.डी.सी.ए. डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- एम.एस.डब्ल्यू
- एम.एससी. कम्प्यूटर
- एम.ए. रूरल डेव्हलपमेंट
- एम.एससी. बायोटेक्नालॉजी
- डिप्लोमा इन स्पोकन इग्लिश एवं क्रिएटिव राइटिंग
- डी.सी.ए.

सेमेस्टर प्रवेश हेतु नियम

1. जो विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण है और द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण है, उसे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी।
2. जो विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण है और द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण है , उसे तृतीस सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी
3. जिस विद्यार्थी को प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर अथवा दोनों में ATKT प्राप्त है, उसे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी
4. जो विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर में फेल है, उसे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

सेमेस्टर पद्धति संशोधित अध्यादेश नं. 170

1. स्नातकोत्तर 4 सेमेस्टर का होगा।
2. पात्रता: इस विश्वविद्यालय से या दूसरे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास विद्यार्थी इसमें प्रवेश के पात्र होंगे।
3. स्नातकोत्तर डिग्री हेतु प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को चारो सेमेस्टर नियमित रुप से पास करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हे न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। चारो सेमेस्टर पूर्ण करने पर सफल छात्रों को निम्नानुसार श्रेणी प्राप्त की जावेगी –
   - 60 प्रतिशत या अधिक – प्रथम श्रेणी
   - 48 प्रतिशत या अधिक – द्वितीय श्रेणी
   - 36 प्रतिशत या अधिक – तृतीय श्रेणी
4. कोई विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों में 36 प्रतिशत से कम या किसी एक विषय में 20 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। परन्तु ऐसे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की पद्धति निम्नानुसार होगी –

(क) जो विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में ATKT या FAIL है उसे प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही ली जायेगी।

(ख) इसी प्रकार द्वितीय सेमेस्टर में ATKT या FAIL की परीक्षा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही ली जायेगी।

(ग) जो विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर की ATKT या पुन: परीक्षा पास नहीं करता है उसे FAIL घोषित करते हुए उनकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त की जायेगी। इसी प्रकार द्वितीय सेमेस्टर के ATKT या पुन: परीक्षा में FAIL विद्यार्थी को FAIL घोषित करते हुए उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

(घ) जो विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की ATKT या पुन: परीक्षा पास नहीं करता है उसे FAIL घोषित करते हुए उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त की जायेगी।

(ड) जो विद्यार्थी ATKT या पुन: परीक्षा पास नहीं करता है वह EX-Student के रुप में पुन: शामिल होगा।

रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र

शास. दिग्विजय महा. राजनांदगांव में रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं का रोजगार के संबंध में मार्गदर्शन देना तथा कैम्पस इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। समय - समय पर विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए मार्गदर्शन एवं व्यक्तित्व विकास कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। उन्हें विभिन्न परीक्षाओं मं बैठने के लिए प्रेरित/प्रशिक्षित भी किया जाता है। इसके प्रभारी डॉ. संजय ठिसके है जो महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर. एन. सिंह के निर्देशन में इन्हें मार्गदर्शित करते हैं। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :-

प्रभारी - डॉ. संजय ठिसके
सदस्य - डॉ. के.एन. प्रसाद
सदस्य - डॉ. एच. एस. अलरेजा
सदस्य - डॉ. शैलेन्द्र सिंह
सदस्य - डॉ. ए.एन. माखिजा
सदस्य - डॉ. के. के . देवांगन
सदस्य - श्री डी. सुरेश बाबु

नेट/स्लेट, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कैरियर काउंस्लिंग मार्गदर्शन सुविधा -

महाविद्यालय के प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग द्वारा उच्च शिक्षा में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नेट/स्लेट मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ग्रंथालय

1957 से स्थापित ग्रंथालय, स्वतंत्र भवन 353.8 वर्ग मीटर में संचालित है। इस ग्रंथालय में वाणिज्य, कला एवं विज्ञान संकाय से संबंधित पाठ्य पुस्तकें एवं शोध सामग्री (संदर्भ पुस्तकें , सी. डी., फोटोग्राफ, सामयिकी) उपलब्ध है।

मुख्य पुस्तकालय - नव निर्मित मुख्य पुस्तकालय के स्टाफ रुम (173.28 मीटर) में 56,527 पुस्तकें सामान्य वर्ग 7,180 पुस्तकें 27/08/1973 को शासनाधीन के समय प्राप्त, एवं सामान्य बुक बैंक की 2,734 पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है।

महाविद्यालय में अध्ययनरत् नियमित (रेगुलर) प्रवेश प्राप्त स्नात्तक स्तर के छात्र/छात्राओं को, बुक बैंक (एस.सी./एस.टी./बी.पी.एल.) एवं सामान्य ग्रंथालय से पुस्तकें (अधिकतम दो अथवा नियमानुसार) निर्गत कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य ग्रंथालय से पुस्तकें निर्गत हेतु नवीनीकृत परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र प्रत्येक बार प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पुस्तक मांग पर्ची निर्धारित दिवस के एक दिन पूर्व जमा करें।

निर्गत पुस्तकें परीक्षा के पूर्ण अथवा महाविद्यालय छोड़ने के पूर्व सही हालत में वापस करना अनिवार्य है। पुस्तक गुमने पर नवीन पुस्तक अथवा वर्तमान मूल्य अन्य शुल्क सहित जमा करना होगा।

विभागीय पुस्तकालय - वाणिज्य संकाय उत्कृष्टता संस्थान के रुप में क्रियाशील है, जिसमें 1,414 पुस्तकें उपलब्ध है जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं को पुस्तकें निर्गत की सुविधा उपलब्ध है। बी. कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, के समस्त नियमित छात्र/छात्राओं को उत्कृष्ठा संस्थान/विभागीय ग्रंथालय से Additional पुस्तकें निर्गत की जावेगी।

सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु अलग से विभागीय पुस्तकालय की विभागीय व्यवस्था है। बी. जे. एम. सी. , फिशरीज PGDCA एवं स्नातकोत्तर स्तर के समस्त (सामान्य, एस. सी. एस. टी., बी. पी. एल.) नियमित छात्र/छात्राओं को संबंधित विभाग (उत्कृष्ठता संस्थान/विभागीय ग्रंथालय) से पुस्तकें निर्गत की जावेगी।

बुक बैंक - अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु अलग से बुक बैंक की व्यवस्था है जिसमें 16.586 एवं 4,924 पुस्तकें है।

बी. पी. एल. बुक बैंक - गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं हेतु पृथक से बी.पी.एल. बुक बैंक की व्यवस्था है, जिसमें 609 पुस्तकें उपलब्ध है।

शोध – शोध छात्र/छात्राओं हेतु 19 सामयिक शोध पत्रिकाएं, बैक वाल्यूम्स्, जरनर्ल्स, Inflibnet, N-list, Photography की सुविधा है।

वाचनालय – वाचनालय में 14 दैनिक हिन्दी अंग्रेजी समाचार पत्रों, एवं 14 सामयिक पत्रिकाएं उपलब्ध है।

विशेष –
1. प्रत्येक कक्षा के 5 प्रावीण्यता प्राप्त छात्रों को मुख्य पुस्तकालय से 3 अतिरिक्त पुस्तकें निर्गत कराने की सुविधा उपलब्ध।
2. वाचनालय में पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों एवं प्रावीण्य छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति अवलोकन हेतु उपलबध।
3. N-list (9200 ई बुक्स, 4000 ई जनरल्स) इनफारमेशन कियोस्क उपलब्ध।
4. अवधान राशि जमा कर एवं शासन के विशेष निर्देशानुसार अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्र/छात्राओं को परीक्षा तक के लिए पुस्तकें निर्गत की सुविधा उपलब्ध है।
5. पुस्तकालय को अद्यतन करने हेतु कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, पुस्तकालय कम्प्यूटरीकण यथा बार कोड एवं सील हेतु महाविद्यालय प्रयासरत है।

शारीरिक शिक्षा विभाग

शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध पोषण–आहार एवं खेल से हैं। शारीरिक शिक्षा केवल शरीर की शिक्षा ही नहीं है अपितु इसके द्वारा मानसिक, संवेगात्मक,आध्यात्मिक, चारित्रिक तात्पर्य व्यक्तित्व का संवार्गीण विकास किया जा सकता है।

खेलकूद गतिविधियां एवं उपलब्ध खेल सुविधाएं –

क्रीड़ा अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेन्डर के अनुसार निरंतर अभ्यास कराया जाता है। खेल मैदान के रुप में महाविद्यालय परिसर, स्थानीय शालाओं, छात्रावास तथा स्टेडियम प्रांगणों को उपयोग में लाया जाता है। शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रमुख रुप से क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, व्हालीबॉल, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, सॉफ्टबॉल, बैंडमिन्टन, टेबल टेनिस, खो खो , कबड्डी, शतरंज, कुश्ती, तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, भारोतोलन, शरीर सौष्ठव, जूड़ों आदि की व्यवस्था की जाती है। महाविद्यालय में मल्टीजिम सेट की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की शारीरिक दक्षता एवं मोटर एबिलिटी का विकास किया जाता है।

प्रोत्साहन एवं पुरस्कार –

शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा क्रीड़ा समिति की अनुशंसा पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरुप कई सामग्रियां जैसे – टी–शर्ट, इन्कलेट, नीकेप, सुर्पोटर, हॉकी स्टिक आदि नि:शुल्क प्रदाय की जाती है। विश्वविद्यालयीन खिलाड़ियों को ट्रेक सूट, प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। वार्षिक खेल स्पर्धाओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है।

एकेदमिक समय काल :–

प्रात: कालीन पाली	प्रात:	7.30 से 2.30 अपरान्ह
द्वितीय पाली	प्रात:	10.30 से 5.30 अपरान्ह

नियमित विद्यार्थी के रुप में वार्षिक परीक्षा में बैंठने की पात्रता

प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य।
कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक।
एन.सी.सी. कैंप/एन.एस.एस. कैंप/ खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थिति माना जावेगा।
उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जावेगी।

अकादमिक, सांस्कृतिक/विशेष दिवस आयोजन - 2015-16

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

महाविद्यालय का अकादमिक/सांस्कृतिक/कलैण्डर विशेष दिवस आयोजन सम्बन्धित विभाग द्वारा सम्पन्न कराकर फोटोग्राफ के साथ अपनी रिपोर्ट अनिवार्यत: प्रस्तुत करेंगे।

क्र.	तिथि	कार्यक्रम का नाम	आयोजनकर्त्ता विभाग
1.	11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस	अर्थशास्त्र विभाग
2.	23 जुलाई	आजाद/तिलक जयंती	इतिहास/राजनीति शास्त्र विभाग
3.	31 जुलाई	प्रेमचंद/तुलसी जयंती	हिन्दी विभाग
4.	9 अगस्त	क्रांति दिवस	एन.सी.सी./एन.एस.एस. संयुक्त
5.	20 अगस्त	सद्भावना दिवस	एन.सी.सी./एन.एस.एस. संयुक्त
6.	29 अगस्त	मेजर ध्यानचंद जयंती	क्रीड़ा विभाग
7.	5 सितम्बर	शिक्षक दिवस	दर्शन शास्त्र विभाग
8.	8 सितम्बर	साक्षरता दिवस	एन.सी.सी./एन.एस.एस. संयुक्त
9.	12 सितम्बर	डॉ. बल्देव प्रसाद मिश्र जयंती	हिन्दी विभाग
10.	14 सितम्बर	हिन्दी दिवस	हिन्दी विभाग
11.	16 सितम्बर	विश्व ओजोन दिवस	रसायन शास्त्र/प्राणिशास्त्र विभाग
12.	27 सितम्बर	शहीद भगत सिंह जयंती	इतिहास विभाग
13.	2 अक्टूबर	गांधी जयंती	एन.सी.सी./एन.एस.एस. संयुक्त
14.	16 अक्टूबर	विश्व खाद्य दिवस	वाणिज्य विभाग
15.	28 अक्टूबर	संस्कृत दिवस/वाल्मिकी जयंती	संस्कृत विभाग
16.	30 अक्टूबर	डॉ. भाभा दिवस/रमन दिवस	भौतिकीशास्त्र विभाग
17.	12 नवम्बर	मुक्तिबोध जयंती	हिन्दी विभाग
18.	17 नवम्बर	कालीदास जयंती	संस्कृत विभाग
19.	19 नवम्बर	कौमी एकता दिवस	एन.सी.सी./एन.एस.एस. संयुक्त
20.	1 दिसम्बर	विश्व एड्स दिवस	रेडक्रास/एन.एस.एस. संयुक्त
21.	10 दिसम्बर	मानव अधिकार दिवस	राजनीतिशास्त्र विभाग
22.	18 दिसम्बर	गुरुघासीदास जयंती	इतिहास विभाग
23.	29 दिसम्बर	बक्शी पुण्य तिथि	हिन्दी विभाग
24.	12 जनवरी	विवेकानंद जयंती/ युवा दिवस	एन.एस.एस.
25.	22 जनवरी	राजा दिग्विजय पुण्यतिथि	समस्त स्टाफ एवं छात्र/छात्राएं
26.	23 जनवरी	सुभाषचंद बोस जयंती	इतिहास विभाग
27.	30 जनवरी	शहीद दिवस	एन.सी.सी./एन.एस.एस. संयुक्त
28.	28 फरवरी	विज्ञान दिवस	रसायन शास्त्र/ प्राणिशास्त्र/वनस्पति शास्त्र
29.	8 मार्च	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	महिला प्रकोष्ठ एवं समाजशास्त्र विभाग
30.	25 अप्रेल	राजा दिग्विजय दास जयंती	समस्त स्टाफ एवं छात्र/छात्राएं
31.	27 मई	डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी जयंती	हिन्दी विभाग
32.	5 जून	विश्व पर्यावरण दिवस	रा.से.यो./भूगोल
33.		सर जगदीश चंद्र बासु दिवस	वनस्पति शास्त्र भूगोल
34.	22 दिसम्बर	श्री निवास रामानुजन दिवस	गणित विभाग
35.	21 जून	योग दिवस	एन.सी.सी./एन.एस.एस., क्रीडा विभाग

उपरोक्त दिवस कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण दिवस / कार्यक्रम भी विभाग द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं।

छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम - 2011

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्र. 4397/3586/11/38-1, - छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23सन् 2011) की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय - सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी(पद) सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है , अर्थात-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य-दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय (छात्रों से संबंधित)	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		ब. छात्रवृत्ति का भुगतान	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		पुस्तकों का प्रदाय	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		परिचय पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		छात्रावास में प्रवेश	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		मार्क शीट, चरित्र प्रमाण पत्र	30 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

अध्ययन केन्द्र 3510 – शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव

उपलब्ध पाठ्यक्रम

प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (Certificate Programme)

- आपदा प्रबंधन में प्रमाण पत्र
- भोजन एवं पोषण में प्रमाण पत्र ☆
- मार्गदर्शन में प्रमाण पत्र
- उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र
- पर्यटन अध्ययन में प्रमाण पत्र
- खाद्य सुरक्षा में प्रमाण पत्र
- प्रयोजनमूलक अंग्रेजी में प्रमाण पत्र
- ऊर्दू में प्रमाण पत्र
- पर्यावरण अध्ययन में प्रमाण पत्र ☆
- मानवाधिकार में प्रमाण पत्र☆
- पोषण एवं शिशु देखभाल में प्रमाण पत्र
- ग्राम विकास में प्रमाण पत्र
- एच.आई.वी. और परिवार शिक्षा में प्रमाण पत्र
- प्राथमिक विद्यालय गणित शिक्षण में प्रमाण पत्र
- जल प्रबंधन में प्रमाण पत्र

☆ इस अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध पाठ्यक्रम।

नोट:– 1. विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ इग्नू के उपर्युक्त (☆) पाठ्यक्रम कर सकते हैं :-

2. विद्यार्थी दूसरे अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर इस केन्द्र पर परीक्षा दे सकते हैं।

डी. सुरेश बाबु
समन्वयक
इग्नू अध्ययन केन्द्र (3510)
फोन नं. 229723 (इग्नू कार्यालय)
मो. 98271-88071

शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर

क्र.	माह	गतिविधियां	प्रस्तावित तिथि
1.	जून	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)	16.06.2015 से 31.07.2015
		कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	14.08.2015
		वार्षिक परीक्षण परिणामों की घोषणा	15.06.2015
		स्नातक – स्नातकोत्तर अध्यापन सत्र प्रारंभ	16.06.2015
2.	जुलाई	खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ	16.07.2015 से
		स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम यूनिट परीक्षा	30.07.2015
		वुमेन सेल/रेडक्रास/एन.सी.सी./एन.एस.एस.	नियमित गतिविधियां सुविधानुसार तिथि
		एन.सी.सी./एन.एस.एस./रेडक्रास प्रवेश	जुलाई प्रथम सप्ताह
		वृक्षारोपण	जुलाई तृतीय सप्ताह
		स्टाफ क्लब आयोजन सत्रारंभ	5 जुलाई 2015

3.	अगस्त	युवा उत्सव चयन हेतु	द्वितीय सप्ताह
		सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतियोगिताएं, कक्षवार स्टडी	अगस्त से दिसम्बर प्रति शनिवार
		प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी, वर्कशॉप, सेमिनार	अगस्त में दिसम्बर प्रति शनिवार
		छात्र संघ चुनाव	शासन के निर्देशानुसार
		छ.ग. संघ शपथ	शासन के निर्देशानुसार
		तीनों संकायों के प्रथम वर्ष के लिए प्रेरणा समारोह	16 अगस्त 2015
		सद्भावना सप्ताह	20 अगस्त से 2015
		स्नातक/स्नातकोत्तर द्वितीय यूनिट परीक्षा	31.08.2015
		पूरक परीक्षा (स्नातक)	अगस्त प्रथम से द्वितीय सप्ताह के बीच
4.	सितम्बर	पूरक परीक्षा परिणाम घोषणा	15 सितम्बर 2015
		हिन्दी सप्ताह साहित्यिक आयोजन	5 सितम्बर 2015
		द्वितीय यूनिट परीक्षा	02.09.2015
		त्रैमासिक परीक्षा स्नातक	सितम्बर अंतिम सप्ताह
		पालक–अध्यापक समिति बैठक	12 सितम्बर 2015
		विज्ञान क्लब आयोजन	15 सितम्बर 2015
5.	अक्टूबर	एन.एस.एस. शिविर	15 अक्टूबर 2015
		वूमेन सेल द्वारा द्वितीय आयोजन	18 अक्टूबर 2015
		स्टाफ क्लब का आयोजन	दीवाली उपरांत
6.	नवम्बर	तृतीय यूनिट परीक्षा	02.11.2015
		द्वितीय सत्र परीक्षा (अर्द्धवार्षिक)	25.11.2015
		साइंस क्लब का आयोजन	15.11.2015
		एन.सी.सी./एन.एस.एस./रेडक्रास के आयोजन	नवम्बर अंतिम सप्ताह
7.	दिसम्बर	स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा	दिसम्बर प्रथम सप्ताह से
		खेलकूद प्रतियोगिता समापन शासन के निर्देशानुसार	2015–16
		महाविद्यालय खेल–कूद प्रतिस्पर्धा	22,25 एवं 24 दिसम्बर 2015
		महाविद्यालय वार्षिक उत्सव	वि. वि. के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार
		चतुर्थ यूनिट परीक्षा (स्नातक)	21.12.2015
8.	जनवरी	प्री फाइनल परीक्षा (स्नातक)	16 जनवरी 2016
		पदक वितरण समारोह एवं क्रीड़ा पुरुस्कार	जनभागीदारी के निर्णय उपरांत
9	फरवरी	साइंस डे आयोजन	28 फरवरी 2016
		वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाएं	20 फरवरी से 28 फरवरी 2016
10	मार्च	वार्षिक परीक्षाएं (स्नातक)	01 मार्च से
		महिला दिवस	08 मार्च 2016
11	अप्रेल	परीक्षाएं निरंतर	
12	मई	द्वितीय/चतुर्थ स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा	मई प्रथम सप्ताह से
13	जून	योग दिवस	21 जून 2015

शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शैक्षणिक स्टॉफ

डॉ. आर. एन. सिंह

प्राचार्य,

(रक्षा सचिव पदक)

225036 (O), Mo. 93001-19083, 229161 (R)

हिन्दी विभाग/पत्रकारिता

1. श्रीमती चन्द्र ज्योति श्रीवास्तव	(सहा. प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	ग्रीन हाईट्स, राजनांदगाँव	94063-72187
2. डॉ. शंकरमुनि राय	(सहा. प्राध्यापक)	रिद्धी-सिद्धी कॉलोनी, राजनांदगाँव	98938-63548
3. डॉ. श्रीमती बी.एन. जागृत	(सहा. प्राध्यापक)	ममता नगर, राजनांदगाँव	75872-25025
4. डॉ. चन्द्र कुमार जैन	(सहा. प्राध्यापक)	किला पारा, राजनांदगाँव	93010-54300

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ श्रीमती अनीता शंकर	(सहा. प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	नीलगिरी पार्क, राजनांदगाँव	99937-88350
2. डॉ श्रीमती नीलू श्रीवास्तव	(सहा. प्राध्यापक)	नीलगिरी पार्क, राजनांदगाँव	93295-58550

संस्कृत विभाग

1. डॉ. शंकरमुनि राय	(प्रभारी प्राध्यापक)	रिद्धी-सिद्धी कॉलोनी, राजनांदगाँव	98938-63548

अर्थशास्त्र विभाग/ग्रामीण विकास का अर्थशास्त्र

1. डॉ चंद्रिका नाथवानी	(प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग)	सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगाँव	98271-96249
2. डॉ. श्रीमती सुमिता श्रीवास्तव	(सहा. प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष ग्रामीण विकास का अर्थशास्त्र)	खण्डेवाल कॉलोनी, राजनांदगाँव	226247
3. श्रीमती मीना प्रसाद	(सहा. प्राध्यापक)	चंद्रा कॉलोनी, राजनांदगाँव	98934-61690

इतिहास विभाग

1. प्रो. पी.डी. सोनकर	(प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	स्टेशन पारा, राजनांदगाँव	94241-24562
2. डॉ. शैलेन्द्र सिंह	(सहा. प्राध्यापक)	प्रोफेसर कॉलोनी, राजनांदगाँव	94241-26385

राजनीति विभाग

1. डॉ. श्रीमती अंजना ठाकुर	(प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजनांदगाँव	89593-32477
2. डॉ. श्रीमती अमिता बख्शी	(प्राध्यापक)	महेन्द्र नगर, राजनांदगाँव	98265-13123
3. प्रो. डी. सुरेश बाबु	(सहा. प्राध्यापक)	सिविल लाईन, राजनांदगाँव	98271-88071

भूगोल विभाग

1. डॉ. के.एन. प्रसाद	(सहा.प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	ए-9, जीवन कॉलोनी, राजनांदगाँव	94241-05794
2. डॉ. शुभेन्द्र जेनामणि	(सहा. प्राध्यापक)	लाल बाग, राजनांदगाँव	94255-57065

दर्शनशास्त्र विभाग

1. डॉ. एच.एस. अलरेजा	(सहा. प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	लाल बाग, राजनांदगाँव	94252-45714

समाजशास्त्र विभाग/एम.एस. डबल्यू

1. प्रो. बी.एल. कश्यप	(सहा. प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	लाल बाग, राजनांदगाँव	94255-08908
2. प्रो. ए.के. मंडावी	(सहा. प्राध्यापक)	पुराना सिविल लाईन, राजनांदगाँव	99932-42447

वाणिज्य विभाग/कम्प्यूटर विभाग

1. डॉ. एच.एस. भाटिया	(सहा.प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष वाणिज्य)	अनुपम नगर, राजनांदगाँव	286938,98939-59436
2. डॉ. ए.एन. मखीजा	(सहा. प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर)	विवेकानंद नगर, राजनांदगाँव	98271-95850
3. प्रो. एस.के. उके	(सहा. प्राध्यापक)	सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगाँव	94241-15744

गणित विभाग/कम्प्यूटर विभाग

1. डॉ. श्रीमती शबनम खान	(प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर)	सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगाँव	223751, 99261-13751
2. डॉ. के.के. देवांगन	(सहा. प्राध्यापक)	नीलगिरी पार्क, राजनांदगाँव	228196, 98271-85443

रसायन शास्त्र विभाग/औद्योगिक रसायन

1. डॉ. श्रीमती अंजू झा	(सहा. प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	खण्डेलवाल कॉलोनी, राजनांदगाँव	88278-19316

प्राणिशास्त्र विभाग/मत्स्यकी विभाग

1. प्रो. श्रीमती उषा ठाकुर	(सहा.प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगाँव	226856, 98271-71949
2. प्रो. श्रीमती के.एल. दामले	(सहा. प्राध्यापक)	सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगाँव	98271-83340
3. डॉ. संजय ठिसके	(सहा. प्राध्यापक)	चंद्रा कॉलोनी, राजनांदगाँव	220114, 98264-82968

बायोटेक्नालॉजी विभाग

1. श्री प्रमोद महिष	(सहा.प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	चंद्रा कॉलोनी, राजनांदगाँव	99932-31765

वनस्पतिशास्त्र विभाग/माइक्रो बायोलॉजी

1. डॉ. श्रीमती अनिता महिश्वर	(प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	न्यू हास्पिटल कॉलोनी, राजनांदगाँव	224861, 94241-26727
2. श्रीमतीं सोनल मिश्रा	(सहा. प्राध्यापक)	विकास नगर, राजनांदगाँव	81200-56512
3. कु. नीलिमा पाण्डेय	(सहा. प्राध्यापक)	कंचन बाग, राजनांदगाँव	98268-50920

भौतिक शास्त्र विभाग

1. प्रो. श्रीमती प्रीतिबाला टांक	(सहा.प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष)	मुंदड़ा कुंज के पास, राजनांदगाँव	226775, 98261-47908
2. श्री सुरेश कुमार पटेल	(सहा.प्राध्यापक)	नीलगिरी पार्क, राजनांदगाँव	94791-32628

कम्प्यूटर साइंस विभाग

1. श्री राजू खूंटे	(सहा.प्राध्यापक)	नीलगिरी कॉलोनी, राजनांदगाँव	94255-45398

भू-विज्ञान विभाग

1. डॉ. के.एन. प्रसाद	(प्रभारी प्राध्यापक)	ए-9, जीवन कॉलोनी, राजनांदगाँव	94241-05794

क्रीड़ा अधिकारी

1. श्री बलबीर सिंह भाटिया	चंद्रा कॉलोनी, राजनांदगाँव	94252-06519

ग्रंथालय

1. ग्रंथपाल	:	श्री जवाहर लाल गर्ग	(0788) 2330314
2. बुक लिफ्टर	:	1. श्री नोहर सिंह पटेल 2. श्रीमती बंसती बाई 3. श्री शत्रुहन कुमार वर्मा	
4. वाचनालय सहायक	:	1. श्री सेवाराम (नैमत्तिक व्यय)	

कार्यालयीन स्टॉफ

1. रजिस्ट्रार	:	रिक्त	
2. मुख्य लिपिक	:	श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव	
3. सहा. ग्रेड –2	:	1.	कु. पुष्पा सांवरकर
		2.	श्री आशीष गौतम
4. सहा. ग्रेड –3	:	1.	श्री तुलाराम कलार
		2.	श्री जावेद सिद्दीकी
5. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	:	1.	रिक्त
6. भृत्य	:	1.	श्री शंकर सिंह ठाकुर
		2.	श्री चित्र कुमार
		3.	श्री शिव शंकर राय
		4.	श्री रामू पाटिल
		5.	श्री रवि कुमार
7. फर्राश	:	1.	गणेश प्रसाद मंडावी
		2.	श्री लालाराम
		3.	श्री ब्रम्हा लाल सोनवानी
8. स्वीपर	:	श्री भोला रगड़े	
9. चौकीदार	:	रिक्त	
10. माली	:	श्री कामता प्रसाद भुआर्य	
11. छात्रा कक्ष परिचारिका	:	कु. मीरा पाण्डेय	

प्रयोगशाला

प्रयोगशाला तकनीशियन (शैक्षणिक)

1. श्री. बी. एस. बैस
2. श्री जी. आर. पठारी
3. श्री सी. आर. साहू
4. श्रीमती आशा कोल्हटकर
5. श्री एम. के. टेम्भुरकर
6. श्री एस.एल. देवांगन
7. श्री केदार साहू
8. श्री सुरेश कुमार खटिक
9. श्री बालादास जर्नादन

प्रयोगशाला परिचारक

1. श्री. मोहनलाल चंद्रवंशी
2. श्री. दुलेराम कुंजाम
3. श्री. नंद कुमार देशलहरे
4. श्रीमती पद्मा देवी
5. श्री यशवंत देशमुख
6. श्री अमितेश दास वैष्णव
7. श्री हीरा लाल
8. श्री पंकज झा
9. शेख वाहीद सिद्धकी
10. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा
11. श्रीमती गायत्री बन्छोर
12. श्री किशोर कुमार बन्छोर
13. श्री सुनील सिंह
14. श्री भुनेश्वर कुर्रे
15. श्री पूरन लाल
16. श्री निर्मल कुमार

हमारे आधार स्तम्भ

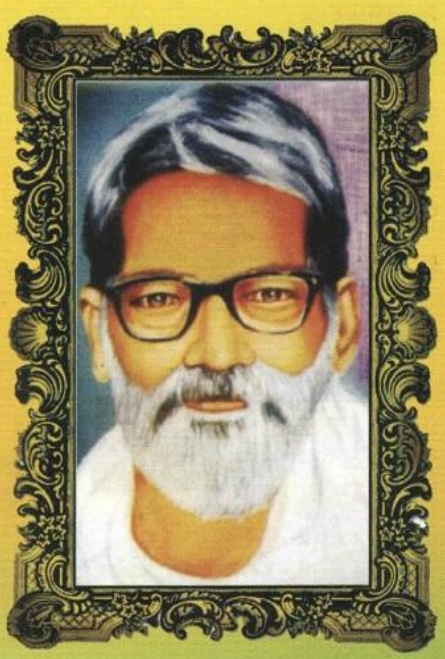

स्व. डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी
व्याख्याता/प्राध्यापक हिन्दी विभाग
20-08-1959 से 28-12-1971

स्व. गजानन माधव मुक्तिबोध
व्याख्याता हिन्दी विभाग
18-08-1958 से 12-09-1964

मुख्य अतिथि माननीय डॉ. रमन सिंह जी एवं सांसद माननीय श्री अभिषेक सिंह तथा महापौर माननीय श्री मधुसूदन यादव द्वारा प्रावीण्यता प्राप्त विद्यार्थियों को पदक वितरण

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थी

छात्र संघ निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री अभिषेक सिंह, सांसद एवं माननीय श्री खूबचंद जी पारख

Visit us at : www.digvijay college.com
Email : principal@digvijaycollege.com
info@digvijaycollege.com
Phone : 07744-225036(O), 229723 (IGNOU)
Fax : 07744-229161

महाविद्यालय परिसर